भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 931
02.12.2024 को उत्तर के लिए

पराली जलाने पर जुर्माना

931. श्री सुधीर गुप्ता :
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर भारतीय राज्यों से पराली जलाने के कुल कितने मामले सामने आए हैं;

(ख) क्या सरकार ने एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में गिरावट और प्रदूषण को रोकने के लिए किसानों द्वारा पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग (पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) संशोधन नियम, 2024 को अधिसूचित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों को पराली जलाने पर जुर्माना लगाने और वसूलने के लिए नोडल या पर्यवेक्षकीय अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है और यदि हां, तो इस संबंध में उक्त राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या पराली जलाने पर जुर्माना बढ़ाने के बाद भी पंजाब राज्य में पराली जलाने के मामलों की संख्या में तेज वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) : 'कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रो इकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस (सीआरईएएमएस)' प्रयोगशाला, कृषि भौतिकी विभाग, आईसीएआर - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों और राजस्थान में पराली जलाने के मामले वर्ष 2022 के कुल 53672 मामलों से घटकर वर्ष 2024 में 12530 हो गए हैं। पंजाब में पराली जलाने की कुल घटनाओं की संख्या वर्ष 2022 में 49888 थी जो वर्ष 2024 में घटकर 10821 हो गई है और यह संख्या हरियाणा में वर्ष 2022 में 3629 थी जो 2024 में घटकर 1373 हो गई है।

(ख) और (ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 690(अ), दिनांक 6 नवंबर, 2024 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) नियम, 2023 में संशोधन किया है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) (पराली जलाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) संशोधन नियम, 2024 जारी किए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपण, संग्रहण और उपयोग) संशोधन नियम, 2024 की प्रति **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न है।

संशोधित नियमों के अनुसार, जुर्माने की राशि निम्नानुसार दोगुनी कर दी गई है :

प्रकार	**2023 के नियम**	**2024 के संशोधन नियम**
02 एकड़ से कम भूमि वाले किसान	2500 रु.	प्रति घटना 5000 रु.
किसान जिसके पास 02 एकड़ या उससे अधिक किन्तु 05 एकड़ से कम भूमि हो	5000 रु.	प्रति घटना 10000 रु.
05 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान	15000 रु.	प्रति घटना 30000 रु.

(घ) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 690(अ) दिनांक 6 नवंबर, 2024 के माध्यम से पराली जलाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की दरों को संशोधित करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) संशोधन नियम, 2024 की अधिसूचना के पश्चात् सीएक्यूएम ने 7 नवंबर, 2024 को एक आदेश जारी किया, जिसमें संबंधित सरकारों द्वारा नियुक्त सभी नोडल/पर्यवेक्षी अधिकारियों को पूर्वोक्त नियम के अनुसार पराली जलाने से वायु प्रदूषण फैलाने वाले किसानों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने और उसकी वसूली करने के लिए अधिकृत किया गया है।

उक्त आदेश की प्रति **अनुबंध-II** के रूप में संलग्न है।

(ङ): धान के अवशेष को जलाने संबंधी समेकित रिपोर्टों में वर्ष 2023 की तुलना में, 2024 में 6 नवंबर से 27 नवंबर की अवधि में, पराली जलाने की घटना में 68% की गिरावट दर्शायी गई है ।

*****

अनुबंध-I

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112024-258498
CG-DL-E-06112024-258498

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 632] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 6, 2024/कार्तिक 15, 1946
No. 632] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 6, 2024/KARTIKA 15, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2024

सा.का.नि. 690(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) की धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने पर पर्यावरणीय प्रतिकर का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) नियम, 2023 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, लागू और प्रारंभ होना - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने पर पर्यावरणीय प्रतिकर का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने पर पर्यावरणीय प्रतिकर का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) नियम, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों कहा गया है) में, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**3.** आयोग अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित दरों पर पराली जलाने वाले कृषकों पर पर्यावरणीय प्रतिकर अधिरोपित और संगृहीत कर सकता है, अर्थात्:-

(क) दो एकड़ से कम भूमि वाले कृषक, प्रति घटना के लिए पांच हजार रुपये के पर्यावरणीय प्रतिकर का संदाय करेंगे;

(ख) दो एकड़ या उससे अधिक किन्तु पांच एकड़ से कम भूमि वाले कृषक, प्रति घटना के लिए दस हजार रुपये के पर्यावरणीय प्रतिकर का संदाय करेंगे;

(ग) पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले कृषक, प्रति घटना के लिए तीस हजार रुपये के पर्यावरणीय प्रतिकर का संदाय करेंगे"।

3. उक्त नियमों में, नियम 4 के उप-नियम (4) में, "उप-नियम (4) में निर्दिष्ट अधिकारी" कोष्ठक, शब्दों और आंकड़ों के लिए, कोष्ठक, शब्द और आंकड़े "उप-नियम (3) में निर्दिष्ट अधिकारी" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।"

4. उक्त नियमों के प्ररूप के लिए, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप

(नियम 3 और 4 देखें)

चालान संख्या.....

तारीख: ../../....

चालान

राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) की धारा 15 और राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने पर पर्यावरणीय प्रतिकर का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) नियम, 2023 के अनुपालन में, नीचे दिए गए वर्णन के अनुसार कृषक के पराली जलाने की सूचना मिली थी/की गई है या इस आशय का कोई साक्ष्य है कि उसकी भूमि में पराली जलाई गई है और परिणामस्वरूप अधिनियम और उल्लिखित नियमों के अनुसार पर्यावरणीय प्रतिकर का अधिरोपण किया गया है, और उसे निम्नलिखित विवरण के अनुसार ऐसे पर्यावरणीय प्रतिकर को जमा करने का निर्देश दिया जाता है, अर्थात्:-

1. कृषक का नाम:
2. मकान नंबर :
3. गली :
4. ग्राम :
5. डाकघर :
6. तहसील :
7. जिला :
8. राज्य :
9. संपर्क संख्या :
10. भूमि का नंबर खसरा, खेवत और खतौनी सहित भूमि का विवरण:

11. कृषक की भूमि का क्षेत्रफल, जिस पर पराली जलाई गई है: (उपयुक्त बॉक्स पर निशान लगाएं)

(i)	2 एकड़ से कम		(ii)	2 से 5 एकड़ के बीच		(iii)	5 एकड़ से अधिक	

12. ऊपर नामित कृषक चालान की तारीख से तीस दिनों के भीतर पर्यावरणीय प्रतिकर संबन्धित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति , जैसा भी हो , के पक्ष में, नकद या डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक मोड के द्वारा _____ रुपये (शब्दों में _____ केवल) जमा कर सकता है।

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

पता :

अधिकारी की मुहर :

संपर्क नंबर :

[फा. सं. क्यू -15014/10/2021-सीपीए/इ-160523]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

नोट- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 322 (अ), तारीख 28 अप्रैल, 2023 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2024

G.S.R. 690(E).— In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of section 25 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Imposition, Collection and Utilization of Environmental Compensation for Stubble Burning) Rules, 2023, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Imposition, Collection and Utilization of Environmental Compensation for Stubble Burning) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Imposition, Collection and Utilization of Environmental Compensation for Stubble Burning) Rules, 2023 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"**3.** The Commission may impose environmental compensation as per the provisions of the Act for stubble burning, at the following rates:-

(a) the Farmer having an area of land of less than two acres shall pay an environmental compensation of five thousand rupees, per incidence;

(b) the Farmer having an area of land of two acres or more but less than five acres shall pay an environmental compensation of ten thousand rupees, per incidence;

(c) the Farmer having an area of land of more than five acres shall pay an environmental compensation of thirty thousand rupees, per incidence.".

3. In the said rules, in sub-rule (4) of rule 4, for the bracket, words and figures "The officer referred to in sub-rule (4)", the bracket, words and figures "The officer referred to in sub-rule (3)" shall be substituted.

4. For the Form to the said rules, the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM
(See rule 3 and rule 4)

Challan No…… Dated: ../../….

CHALLAN

In pursuance of the section 15 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021) and the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Imposition, Collection and Utilization of Environmental Compensation for Stubble Burning) Rules, 2023, the Farmer described below was found/ has been reported to burn stubble or there is an evidence to the effect that Stubble Burning has happened in his land, and consequently Environmental Compensation has been imposed as per the Act and the rules mentioned above, and is directed to deposit such Environmental Compensation as per the following details, namely:-

1. Name of the Farmer:
2. House No. :
3. Street :
4. Village :
5. Post Office :
6. Tehsil :
7. District :
8. State :
9. Contact No. :
10. Details of land including Khasra, Khewat and Khatoni number of the land:
11. The area of land of the farmer who has resorted to stubble burning: (tick the appropriate box)

i	Less than 2 acres		ii	Between 2 to 5 acres		iii	More than 5 acres	

The Farmer named above may deposit the Environmental Compensation of Rupees _____ (in words _____ only), through Cash or Demand Draft or through electronic mode in the account of respective State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be within thirty days from the date of Challan.

Signature :
Name :
Designation :
Address :
Seal of the Officer:
Contact No :

[F. No. Q-15014/10/2021-CPA/(e-160523)]
VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.

Note.-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 322(E), dated the 28th April, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

अनुबंध-II

फा.सं. 1-55055/1/2021-एमईआरडी-1086 डीटी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन,
(एसटीसी बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
नई दिल्ली-110001

दिनांक 7 नवंबर, 2024

आदेश

विषय : पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपण और उसकी वसूली के संबंध में।

संदर्भ : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 07.11.2024 का पत्र संख्या क्यू-15014/10/2021-सीपीए (ई-160523)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 690(अ) दिनांक 06.11.2024 के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) संशोधन नियम, 2024 की अधिसूचना के बाद, पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की दरों को संशोधित किया गया है।

2. आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब, हरियाणा राज्य के लिए संबंधित सरकारों द्वारा और एनसीआर क्षेत्रों के लिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों द्वारा नोडल / पर्यवेक्षी अधिकारी के रूप में सरकारी पदाधिकारियों की नियुक्ति की जानी है ताकि संबंधित सरकारों द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार पराली जलाने की प्रत्येक घटना के लिए की गई कार्रवाई की एंड-टु-एंड रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जा सके।

3. आयोग, इसके द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संग्रहण और उपयोग) नियम, 2023 के अनुसार, संबंधित सरकारों द्वारा नियुक्त सभी नोडल/पर्यवेक्षी अधिकारियों को पराली जलाने से वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले किसानों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने और वसूलने के लिए नियुक्त और अधिकृत करता है।

4. उपर्युक्त नियमों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह./-

(आर.के. अग्रवाल)
निदेशक

1. मुख्य सचिव, पंजाब सरकार, छठी मंजिल, पंजाब सिविल सचिवालय-1, सेक्टर-1, चंडीगढ़ 160001

2. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चतुर्थ तल, हरियाणा सिविल सचिवालय, सेक्टर-1, चंडीगढ़ -160001

3. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, 101, लोक भवन, उ.प्र. सिविल सचिवालय, विधान सभा मार्ग, लखनऊ-226001

4. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110001

5. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर- 302005

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष एवं सभी सदस्य, सीएक्यूएम

2. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली - 110003

ह./-
(आर.के. अग्रवाल)
निदेशक